

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 117

दिनांक 15/01/2024

प्रार्थिनी :-

1. जड़ाकंवर पत्नि उत्तमसिंह
जाति राजपूत
निवासी हुरों का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. गंगादेवी पत्नि निहालचंद 2. नानगाराम 3. द्वारकाराम
पि. भोजाराम 4. हवलीदेवी पत्नि भोजाराम,
जाति मेघवाल, निवासी हुरों का तला, तहसील चौहटन
5. सबलसिंह पुत्र नगसिंह 6. छगनकंवर पत्नि सबलसिंह
जाति राजपूत 7. पुरखाराम पुत्र वीराराम, जाति भील
(विप्रार्थी सं. 7 ना.लि.जरिये कुदरती वली वीरमाराम)
निवासी नवातला जेतमाल, तहसील चौहटन,
8. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 78/2023

दिनांक : 15.01.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र नवातला जेतमाल के मौजा हुरो का तला के खेत खसरा सं. 330/263 रकबा 50.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थिनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 118 to 121

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थिनी जड़ाकंवर
3. विप्रार्थीगण गंगादेवी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 15/01/2024



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी